

प्ररूप सं. 16

[नियम 31(1)(क) देखिए]

भाग क

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 203 के अधीन स्रोत पर कर की कटौती का प्रमाण-पत्र

| | | | |
|--------------------------|-------------------|---|---|
| प्रमाण पत्र सं. | | अंतिम बार अध्यतन की गई | |
| कटौतीकर्ता का नाम और पता | | कटौती किए जाने वाले व्यक्ति का नाम और पता | |
| कटौतीकर्ता का पैन | कटौतीकर्ता का टैन | कर्मचारी का पैन | कटौतीकर्ता द्वारा दिया गया कर्मचारी की संदर्भ सं. |

| | | |
|-------------------------|---------------|----------|
| सी.आई.टी. (टीडीएस) | निर्धारण वर्ष | अवधि |
| शहर पिन कोड | से | तक |

| कटौती किए जाने वाले व्यक्ति के बाबत संक्षेप में स्रोत पर कटौती किया गया कर | | | | |
|--|--|----------------------|----------------------|--------------------|
| तिमाही | धारा 200 की उपधारा (3) के अधीन टीडीएस के मूल तिमाही विवरण की प्राप्ति संख्या | संदत्त/जमा की गई रकम | संदत्त/जमा की गई रकम | संदाय/जमा की तारीख |
| | | | | |
| कुल (सं.) | | | | |

1. कटौती किए गए और बही समायोजन के माध्यम से केन्द्रीय सरकार के खाते में जमा किए गए कर का ब्यौरा (कटौतीकर्ता द्वारा कटौती किए जाने वाले व्यक्ति की बाबत कटौती किए गए और जमा किए गए कर का भुगतान बार ब्यौरा उपलब्ध कराया जाए)

| क्रम सं. | कटौती किए जाने वाले व्यक्ति की बाबत जमा किया गया कर (रु.) | बही पहचान संख्यांक (बीआइएन) | | | |
|-----------|---|-----------------------------------|---|-------------------------------------|-------------------------------------|
| | | प्ररूप सं. 24छ की प्राप्ति संख्या | बही समायोजन मिनी विवरण में डीडीओ अनुक्रम संख्या 24छ | अंतरण वाउचर की तारीख (दिदि/मम/वववव) | प्ररूप 24छ के साथ मिलान की प्राप्ति |
| | | | | | |
| कुल (रु.) | | | | | |

2. कटौती किए गए और चालान के माध्यम से केन्द्रीय सरकार के खाते में जमा किए गए कर का ब्यौरा (कटौतीकर्ता द्वारा कटौती किए जाने वाले व्यक्ति की बाबत कटौती किए गए और जमा किए गए कर का भुगतान बार ब्यौरा उपलब्ध कराया जाए)

| क्रम सं. | कटौती किए जाने वाले व्यक्ति की बाबत जमा किया गया कर (रु.) | चालान पहचान संख्यांक (बीआइएन) | | | |
|-----------|---|-------------------------------|---|-------------------|----------------------------------|
| | | बैंक शाखा का बीएसआर कोड | वह तारीख जिसको कर जमा किया गया (दिदि/मम/वववव) | चालान क्रम संख्या | ओएलटीएस के साथ मिलान की प्राप्ति |
| | | | | | |
| कुल (रु.) | | | | | |

सत्यापन

मैं पुत्र/पुत्री जो (पदनाम) की हैसियत में कार्य कर रहा/रही हूँ, यह प्रमाणित करता/करती हूँ कि रूप [केवल (शब्दों में)] की राशि की कटौती की गई है और केंद्रीय सरकार के खाते में संदत्त की गई है। मैं यह प्रमाणित करता/करती हूँ कि उपरोक्त दी गई जानकारी लेखा पुस्तकों, दस्तावेजों और अन्य उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर सही और ठीक है।

स्थान :

तारीख :

पदनाम :

(कर की कटौती के लिए उत्तरदायी व्यक्ति के हस्ताक्षर)

पूरा नाम :

टिप्पण :

- सरकारी कटौतीकर्ता मद 1 में जानकारी दें यदि कर को आयकर चालान के प्रस्तुत किए बिना प्रस्तुत किया जाता है और यदि कर को आयकर चालान के साथ संदत्त किया जाता है तो मद 2 में जानकारी दें।
- गैर सरकारी कटौतीकर्ता, मद 2 में पूर्ण जानकारी दें।
- कटौतीकर्ता, आय-कर आयुक्त (टीडीएस) का पता प्रस्तुत करेंगे जिसकी अधिकारिता निर्धारिती के टीडीएस विवरण के विषय में है।
- यदि वर्ष के दौरान, कोई निर्धारिती किसी एक नियोजक के अधीन नियोजित है तो वित्तीय वर्ष की 31 मार्च को समाप्त तिमाही के लिए जारी प्रमाणपत्र, प्ररूप सं. 16 में वित्तीय वर्ष की सभी तिमाहियों के लिए जमा और कर कटौती का विवरण होगा।
- यदि वर्ष के दौरान, कोई निर्धारिती एक नियोजक से अधिक नियोजक के अधीन नियोजित है, तो प्रत्येक नियोजक, उस अवधि से संबंधित प्ररूप सं. 16 में प्रमाणपत्र का भाग क जारी करेगा जिसके लिए ऐसा निर्धारिती प्रत्येक नियोजक के अधीन नियोजित था। निर्धारिती के विकल्प पर भाग ख प्रत्येक नियोजक का अंतिम नियोजक द्वारा जारी किया जा सकेगा।
- मद 1 व मद 2 में कटौती किए जाने वाले व्यक्ति के बाबत कर जमा करने के लिए टीडीएस अधिभार (यदि लागू हो) और शिक्षा उपकर (यदि लागू हो) की कुल रकम दे।

| भाग ख (उपाबंध) | | | |
|---|---|--------------|--------------|
| संदत्त वेतन और अन्य आय तथा कर कटौती के ब्यौरे | | | |
| 1. | सकल वेतन | | |
| | (क) धारा 17(1) के अंतर्विष्ट उपाबंधों के अनुसार वेतन | रु. | |
| | (ख) धारा 17(2) के अधीन परिलब्धियों का मूल्य (प्ररूप सं. 12खक के अनुसार, जहां लागू हो) | रु. | |
| | (ग) धारा 17(3) के अधीन वेतन के बदले लाभ (प्ररूप सं. 12 खक के अनुसार, जहां लागू हो) | रु. | |
| | (घ) कुल | | रु. |
| 2. | घटाएं : धारा 10 के अधीन छूट की सीमा तक भत्ते | | |
| | भत्ता | रु. | |
| | | रु. | |
| | | | रु. |
| 3. | अतिशेष (1-2) | | रु. |
| 4. | कटौतियां : | | |
| | (क) मनोरंजन भत्ता | रु. | |
| | (ख) नियोजन पर कर | रु. | |
| 5. | 4(क) और (ख) का योग | | रु. |
| 6. | वेतन (3-5) शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय | | रु. |
| 7. | जोड़े : कर्मचारी द्वारा रिपोर्ट की गई अन्य आय | | |

| | | | | |
|-----|--|----------|------------------|--------------------|
| | आय | रु. | | |
| | | | | |
| | | | रु. | |
| 8. | सकल कुल आय (6 + 7) | | | रु. |
| 9. | अध्याय 6क के अधीन कटौतियां | | | |
| | (अ) धारा 80ग, धारा 80गग और धारा 80गगघ | | सकल रकम | कटौती योग्य रकम |
| | (क) धारा 80ग | | | |
| | (i) | | रु. | |
| | (ii) | | रु. | |
| | (iii) | | रु. | |
| | (iv) | | रु. | |
| | (v) | | रु. | |
| | (vi) | | रु. | |
| | (vii) | | रु. | |
| | (ख) धारा 80गगग | | रु. | रु. |
| | (ग) धारा 80गगघ | | | |
| | टिप्पण : 1. धारा 80ग, 80गगग और 80गगघ(1) के अधीन कटौतियों की राशि का योग एक लाख रुपए से अधिक नहीं होगा। | | | |
| | (ख) अध्याय 6क के अधीन अन्य धाराएं (जैसे 80ड, 80ड, 80ननक)। | सकल | अर्हक रकम रकम | कटौती योग्य रकम |
| | (i) धारा | रु. | रु. | रु. |
| | (ii) धारा | रु. | रु. | रु. |
| | (iii) धारा | रु. | रु. | रु. |
| | (iv) धारा | रु. | रु. | रु. |
| | (v) धारा | रु. | रु. | रु. |
| 10 | अध्याय 6क के अधीन कटौती योग्य रकम का योग | | | रु. |
| 11 | कुल आय (8 - 10) | | | रु. |
| 12 | कुल आय पर कर | | | रु. |
| 13 | शिक्षा उपकर @ 3% की दर से (क्रम सं. 12 पर कर का संगणन) | | | रु. |
| 14 | सदेय कर (12 + 13) | | | रु. |
| 15 | घटाएं : धारा 89 के अधीन छूट (विवरण संलग्न) | | | रु. |
| 16. | सदेय कर (14 - 15) | | | रु. |

सत्यापन

मैं पुत्र/पुत्री (पदनाम) की हैसियत से कार्य कर रहा/रही हूँ, यह प्रमाणित करता/करती हूँ कि
..... रुपए (केवल शब्दों में रुपए) की राशि स्रोत पर कटौती की गई है और केंद्रीय सरकार के खाते में संदत्त की
गई है। मैं यह प्रमाणित करता/करती हूँ कि उपरोक्त दी गई जानकारी, लेखा पुस्तकों, दस्तावेजों और अन्य उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर सही और ठीक है।

स्थान

तारीख

पदनाम

(कर की कटौती के लिए उत्तरदायी व्यक्ति के हस्ताक्षर)

पूरा नाम